न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 02/2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00051

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. फतेहसिंह पुत्र श्री बहादुर सिह 2. मंगलसिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह जातियान राजपूत निवासीगण गुडा देवड़ा मेडतियान, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)।		1. पूराराम पुत्र चैनाराम जाति मेघवाल निवासी गुडा जेतावता, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.) 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता :– अपीलांटगण की ओर से रामलाल भाटी उपस्थित
रेस्पोडेंटगण की ओर से मोहम्मद शफी उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 1-11-21

अधिवक्ता अपीलांट की और से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 1/2018 बअनवान पूराराम बनाम फतेहसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 8.2.2019 को अपास्त कराने हेतु पेश की गई है जो म्याद बाहर होने से सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी खातेदारी भूमी खसरा नंबर 361 रकबा 1.18 हैक्टेयर किस्म बारानी–प्रथम ग्राम डायलाना कलां में स्थित है। उस पर अपीलांटगण का कब्जा है रेस्पोडेंट पिछले 2 वर्षो से खाने कमाने हेतु बाहर गया हुआ था तो अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमी पर कब्जा कर खेती बो दी है। जिन्हें बेदखल कर रेस्पोडेंट को उसकी खातेदारी भूमी पर कब्जा दिलाया जावे। रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा अपीलांट स्वर्ण जाति के व्यक्ति है उन्हें अन्तर्गत धारा 183 (बी) के कार्यवाही कर बेदखल कर उसकी खातेदारी भूमी का कब्जा दिलवाया जावे। इस पर तहसीलदार देसूरी द्वारा पटवार हल्का डायलाना कला व भू.अ.नि. डायलाना कलां से जांच कराई एवं उसी के आधार पर जैर अपील आदेश पारित कर दिए जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। जैर अपील पत्रावली में अपीलांट को पर्याप्त सुनवाई का एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समय नहीं दिया गया है नोटिस की प्रॉपर तामील नहीं कराई गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 8.2.2019 के जवाब पेश किया गया एवं 8.2.2019 को निर्णय पारित कर दिया जो कानून व तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। मातहत तहसीलदार देसूरी ने अपीलांट के जवाब पेश करने के बाद प्रार्थी के बयान नहीं लिए गए है न ही प्रार्थी ने शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया है। मात्र प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है उनके बयान भी नहीं लिए गए है मौका अपीलांट की अनुपस्थिति में देखा गया है मौका रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है न अपीलांट के ही बयान लिए है इस प्रकार दोष पूर्ण कार्यवाही की गई जो निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा विस्तृत लिखित बहस पेश की गई उसपर भी ध्यान नहीं दिया गया एवं जैर अपील निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट ने जैर अपील आराजी को ताराचंद से दिनांक 7.8.2013 को क्रय किया जाना बताया है। उक्त भूमी पर ताराचन्द का भी क[illegible]ही लेन देन किया गया है इससे पूर्व में हेमा पुत्र मोटा का कब्जा हो[illegible]करण भी सहायक कलेक्टर बाली के न्यायालय में मुकदमा न[illegible] तारांचद का कब्जा नहीं माना है। रेस्पोडेंट का कब्जा [illegible] भी नामान्तरकरण [illegible] के नाम भर दिया जो निरस्त योग्य है। तथा रेस्पोडेंट [illegible]ख्या 1 का प्रार्थना प[illegible]गत धारा 183 बी म्याद बाहर हो चूका है जो काबिल खारिज है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 19.3.2019 को हुई एवं आदेश 8.2.2019 को पारित किया गया था अपीलांट को जानकारी होते ही तहसील कार्यालय से नकलें प्राप्त कर वकील से सम्पर्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:27:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश..........2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

कर यह अपील होली का त्यौंहार होने से अवकाश के बाद पेश की गई जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावे। अपील अपीलांट अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमी पर सवर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा कर दिया जाने से अपील मानवीय दृष्टीकोण से अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम डायलाना कलां के खसरा नंबर 361 रकबा 1.18 हैक्टेयर रेस्पोडेंटगण द्वारा 7.8.2013 को ताराचंद जिनगर वगैरा से क्रय की गई थी जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे तथा क्रेता रेस्पोडेंट पूराराम जी मेघवाल अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। मातहत अदालत की पत्रावली संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार ताराचंद पुत्र सीताराम जीनगर खातेदार काश्तकार था तथा उसमें जरिये पंजीकृत रजिस्ट्री के क्रय करने के बाद भूमी जरिये नामान्तरकरण संख्या 1154 दिनांक 20.9.2016 के पूराराम पुत्र चेनाजी जाति मेघवाल निवासी गुड़ा जैतावता के नाम दर्ज हुई तब से रेस्पोडेंट पूराराम खातेदार काश्तकार है व उसका कब्जा उक्त भूमी पर है नामान्तरकरण इन्द्राज हेतु कब्जे के जांच का प्रावधान नहीं है बाद में प्रार्थी रेस्पोडेंट का कब्जा रहा। रेस्पोडेंट पूराराम के गांव जाने पर अपीलांट ने कब्जा उक्त आराजी पर कर काश्त करना शुरू कर दिया जिसका कब्जा नहीं देने पर रेस्पोडेंटगण द्वारा शिकायत की गई। तथा तहसीलदार देसूरी द्वारा पटवार हल्का डायलाना कलां व भू.अ.नि. डायलाना कलां से जांच कराई एवं कब्जा सिद्ध होने पर व समरी इन्कावयरी कराकर तथा अपीलांटगण को मातहत तहसीलदार देसूरी द्वारा पर्याप्त समय सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु प्रदान करने के बाद तथा रेस्पोडेंट द्वारा जवाब व लिखित बहस प्रस्तुत करने के पश्चात पूराराम जो अनुसुचित जाति का व्यक्ति है उसकी भूमी पर अपीलार्थी सवर्ण जाति का कब्जा पाया जाने पर बाद जांच जैर अपील निर्णय पारित किया गया। जो विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसे यथावत रखा जावे। एवं अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया मातहत अदालत की पत्रावली का भी भली–भाँति अवलोकन किया गया। प्रकरण अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी आराजी पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर दिए जाने से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है इस अपील के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

1. क्या तहसीलदार देसूरी द्वारा सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समूचित अवसर दिया गया एवं प्रक्रिया का पालन किया गया है ?
2. क्या अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमी पर सवर्ण जाति का कब्जा किया जाना प्रमाणित है ?

तहसीलदार देसूरी को रेस्पोडेंट पूराराम की भूमी पर सवर्ण जाति के रेस्पोडेंट द्वारा कब्जा करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 1.8.2018 को दर्ज कर कार्यवाही शुरू की गई तथा अप्रार्थीगण को तहसीलदार देसूरी द्वारा तलब किया गया था दोनों ही अप्रार्थीगण मंगलसिंह व फतेहसिंह मातहत अदालत में उपस्थित हुए जो उनके आदेशिका में हस्ताक्षर से स्पष्ट है। उसके बाद वकील श्री हुकमसिंह द्वारा वकालतनामा भी पेश किया गया है जो 13.8.2018 को पेश किया गया तथा उसके पश्चात निर्णय दिनांक 8.2.2019 तक 9 अवसर साक्ष्य सबूत जवाब व बहस हेतु प्रदान किए गए है इस प्रकार पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाना स्पष्ट है। मातहत अदालत की पत्रावली में भू.अ. नि. डायलाना की रिपोर्ट दिनांक 13.7.2018 पूराराम मेघवाल की खातेदारी भूमी खसरा नंबर 361 रकबा 1.18 है किस्म बारानी अव्वल पर रेस्पोडेंटगण फतेहसिंह व मंगलसिंह द्वारा कब्जा दिया जाना स्पष्ट अंकित है इस प्रकार तहसीलदार द्वारा बाद जांच करवाई जाना एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर प्रक्रिया अपनाकर समरी जांच का निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत है।

पूराराम पुत्र चैनाजी जाति मेघवाल अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। जमाबंदी संवत 2070–2073 में नामान्त[illegible].9.2016 के खातेदार दर्ज हुआ है तथा उसकी खातेदारी आराजी खस[illegible]1 रकबा 1.18 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल पर अपीलांट फ[illegible] का कब्जा है दोनों जाति से राजपूत है तथा सवर्ण [illegible] अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा कब्ज[illegible] किया जाने पर पटवारी हल्का व भू.अ.नि. डायलाना कलां द्वारा बाद जांच अन्तर्गत धारा 183 (बी) के तहसीलदार देसूरी द्वारा जो कार्यवाही की गई एवं आदेश पारित किए गए उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:27:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 1/2018 बअनवान पूराराम बनाम फतेहसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 8.2.2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:27:50 IST
Reason: SelfAttested